न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 752/2024
अनवान : –

1. महावीर पुत्र मनफुल जाति जाट साकिन ललानिया तहसील नोहर।
2. शिशुपाल पुत्र मनफुल जाति जाट साकिन ललानिया तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. नन्दराम पुत्र मनफुल जाति जाट साकिन ललानिया तहसील नोहर।
2. रामकिशन डूडी पुत्र मनफुल जाति जाट साकिन ललानिया तहसील नोहर।
3. भागीरथ पुत्र मनफुल जाति जाट साकिन ललानिया तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
5. शाखा प्रबन्धक ग्रामीण बैंक शाखा नोहर।
6. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री कुलदीप सिंह खुडिया अधिवक्ता **वादी**
श्री चन्द्रशेखर अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 17/9/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 146/144 की कुल 8.8900 हैक्ट भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के खाता स0 183/170 की कुल 25.6670 हैक्ट भूमि में से 2960/25667 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम उनके पिता ने हिन्दु परिवार की संयुक्त आय से खरीद कर उनके नाम दर्ज करवा दी थी। लेकिन वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता ने उक्त वाद भूमि का बाहमी बंटवारा कर दिया था एवं मुताबिक बंटवारा ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण वाद भूमि पर काबिज है एवं काश्त करते आ रहे है लेकिन राजस्व रिकार्ड में हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार वाद भूमि दर्ज नही है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण बाहमी बंटवारा इस आशय का किया है कि रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के खाता स0 183/170 की कुल 25.6670 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 2960/25667 हिस्सा भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार रहेंगे एवं रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 146/144 की कुल 8.8900 हैक्ट भूमि में वादीगण प्रत्येक के नाम दर्ज 250/889 हिस्सा में प्रत्येक 0.7[illegible] हैक्ट, प्रति[illegible] 2 के नाम दर्ज 151/635 हिस्सा में 0.336 हैक्ट भूमि कम करके प्रति[illegible] भूमि दर्ज की जावे तथा वादी संख्या 1, वादी संख्या 2, प्रति[illegible] 2 व प्रतिवादी संख्या 3 प्रत[illegible] नाम 1.778

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:30:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हैक्ट भूमि यथावत रहेगी। इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो कीं शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–77 खाता स0 146/144 व रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता स0 183/170, शपथ पत्र बाबत सदस्य पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है उक्त वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम उनके पिता ने हिन्दु परिवार की संयुक्त आय से खरीद कर उनके नाम दर्ज करवा दी थी। लेकिन वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता ने उक्त वाद भूमि का बाहमी बंटवारा कर दिया था एवं मुताबिक बंटवारा ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण वाद भूमि पर काबिज है एवं काश्त करते आ रहे है लेकिन राजस्व रिकार्ड में हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार वाद भूमि दर्ज नही है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण बाहमी बंटवारा इस आशय का किया है कि रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के खाता स0 183/170 की कुल 25.6670 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 2960/25667 हिस्सा भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार रहेंगे एवं रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 146/144 की कुल 8.8900 हैक्ट भूमि में वादीगण प्रत्येक के नाम दर्ज [illegible] 0.722 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज 151/635 हिस्सा में 0.[illegible] प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1.780 हैक्ट भूमि दर्ज की जावे तथा [illegible] संख्या 2, प्रतिवादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 प्रत्येक के नाम 1.778 हैक्ट भूमि यथावत रहेगी। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:30:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 146/144 की कुल 8.8900 हैक्ट भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के खाता स0 183/170 की कुल 25.6670 हैक्ट भूमि में से 2960/25667 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार मनफुल के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। वादी का कथन है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता ने उक्त वाद भूमि का बाहमी बंटवारा कर दिया था एवं मुताबिक बंटवारा ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण वाद भूमि पर काबिज है एवं काश्त करते आ रहे है लेकिन राजस्व रिकार्ड में हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार वाद भूमि दर्ज नही है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण बाहमी बंटवारा इस आशय का किया है कि रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के खाता स0 183/170 की कुल 25.6670 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 2960/25667 हिस्सा भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार रहेंगे एवं रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 146/144 की कुल 8.8900 हैक्ट भूमि में वादीगण प्रत्येक के नाम दर्ज 250/889 हिस्सा में प्रत्येक 0.722 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज 151/635 हिस्सा में 0.336 हैक्ट भूमि कम करके प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1.780 हैक्ट भूमि दर्ज की जावे तथा वादी संख्या 1, वादी संख्या 2, प्रतिवादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 प्रत्येक के नाम 1.778 हैक्ट भूमि यथावत रहेगी, वादीगण के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के खाता स0 183/170 की कुल 25.6670 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 2960/25667 हिस्सा भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 146/144 की कुल 8.8900 हैक्ट भूमि में वादीगण प्रत्येक के नाम दर्ज 250/889 हिस्सा में प्रत्येक के 0.722 हैक्ट भूमि व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:30:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

151/635 हिस्सा भूमि में 0.336 हैक्ट भूमि कम करके प्रतिवादी संख्या 1 को नाम 1.780 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी संख्या 1, वादी संख्या 2, प्रतिवादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 प्रत्येक के नाम 1.778 हैक्ट भूमि यथावत रहेगी। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/9/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:30:05 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 752 / 2024

अनवान : –

1. महावीर पुत्र मनफुल जाति जाट साकिन ललानिया तहसील नोहर।
2. शिशुपाल पुत्र मनफुल जाति जाट साकिन ललानिया तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. नन्दराम पुत्र मनफुल जाति जाट साकिन ललानिया तहसील नोहर।
2. रामकिशन डूडी पुत्र मनफुल जाति जाट साकिन ललानिया तहसील नोहर।
3. भागीरथ पुत्र मनफुल जाति जाट साकिन ललानिया तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
5. शाखा प्रबन्धक ग्रामीण बैंक शाखा नोहर।
6. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 752 सन 2024 निर्णय दिनांक 17/9/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री कुलदीप सिंह खुडया एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के खाता स0 183 / 170 की कुल 25.6670 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 2960 / 25667 हिस्सा भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 146 / 144 की कुल 8.8900 हैक्ट भूमि में वादीगण प्रत्येक के नाम दर्ज 250 / 889 हिस्सा में प्रत्येक के 0.722 हैक्ट भूमि व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज 151 / 635 हिस्सा भूमि में 0.336 हैक्ट भूमि कम करके प्रतिवादी संख्या 1 को नाम 1.780 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी संख्या 1, वादी संख्या 2, प्रतिवादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 प्रत्येक के नाम 1.778 हैक्ट भूमि यथावत रहेगी। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/9/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:30:05 IST
Reason: SelfAttested